IS15700:2018

संवीक्षित प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय का नाम अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड गाजियाबाद-02

पता-सैक्टर-16ए वसुन्धरा काम्पलैक्स गाजियाबाद-201012

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्रांकः- 755 / M-1 /69 दिनांकः- 15-3-2024

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से, परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी फर्मो से ई–निविदा टू–बिड पद्वति के माध्यम से निम्नांकित विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है, जो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे निम्नलिखित अंकित तिथियों के अनुसार उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी। कार्यो की मात्राए बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगी, जो घट या बढ सकती है। ई–प्रोक्योरमेंट सैल्यूशन द्वारा निविदाएं निम्नानुसार खोली जाएगी।

क0 स0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रू में)	निविदा पद्वति	श्रेणी	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पुलिस कमिश्नरेट, गाजियाबाद के थाना लोनी के अन्तर्गत नवीन पुलिस थाना अंकुर विहार में अनावासीय भवन का निर्माण कार्य।	650.00 + जी0एस0टी0 अतिरिक्त	13,00,000.00	18 माह	7500 + 18% जीएसटी	टू–बिड	श्रेणी–I (i)	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद–02

नियम एवं शर्तेः–

2. निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से निविदा में उल्लेखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी (विवरण निम्न प्रकार है), जो कि निर्धारित तिथि व समय तक डाली/अपलोड की जानी होगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद।	Indian Bank, Vasundhara, Ghaziabad	50017120249	IDIB000V515

2. महत्वपूर्ण तिथियांः–

क0स0	विवरण	दिनांक	समय
1	ई–निविदा प्रकाशन तिथि	16.03.2024	–
2	निविदा डाउनलोड/अपलोड/आर0टी0जी0एस0 करने की प्रारम्भ तिथि	21.03.2024	अपरान्ह् 17:00 बजे से
3	धरोहर राशि की आर0टी0जी0एस0 करने की अन्तिम तिथि	22.04.2024	अपरांन्ह् 17:00 बजे तक
4	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	22.04.2024	अपरान्ह् 17:00 बजे तक
5	तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि	23.04.2024	अपरान्ह् 15.00 बजे
6	वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि	अलग से सूचित की जाएगी।	

3. निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदाएं अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
4. निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारुप में रू0–100/–का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर रू0–1/– की रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
6. सशर्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
7. बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोडकर अन्य समस्त कर सम्मिलित है, जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी
8. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
9. समस्त कार्य, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम/विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।

क्रमशः.....2

15.3.24

10. कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाईट www.upavp.com एवं उ0प्र0 इलैक्ट्रोनिक कॉरपोरेशन की वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाईटो को देखते रहे, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
12. कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व, ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का किसी भी कार्यदिवस में निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें।
13. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
14. निविदा के कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्संबंधी कार्यो हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
15. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष–2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
16. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है, तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
17. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
18. निविदा की दर, बी0ओ0क्यू0 में अंकित दरों के सापेक्ष कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर, दरें कम (Below) मानी जायेगी।
19. ई–निविदा के साथ निविदादाता को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे, जिनके अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा सील कर दी जायेगी।
    अ. फर्म का पैन कार्ड।
    ब. फर्म का परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
    स. फर्म का जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र।
    द. वांछित अनुभव प्रमाण–पत्र।
20. यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।
21. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या–2033/अभि0अनु0/परफारमेन्स सिक्योरिटी/01 दिनांक 25.07.2022 के अनुपालन में जमानत धनराशि कार्य की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत ली जायेगी।
22. अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
23. यदि निर्माण कार्य की जॉच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिए ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
24. शासनादेश सं0–1345/86–2019 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लाई गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा, जिसे प्रस्तुत न करने की दशा में नियमानुसार कटौती की जायेगी तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अन्य स्थानों से लायी गयी सामग्री का ISTP उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार निर्धारित रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से वसूली की जायेगी।
25. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नही किया जायेगा तथा ठेकेदार/ फर्म का कोई क्लेम मान्य नही होगा। कार्यस्थल पर फर्म को सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वंय ही जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नही होगी।
26. ई–टेण्डरिंग में प्रतिभाग हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
27. निविदादाताओं/फर्म के निविदा स्वीकृति की दशा में, निविदा के साथ लगायी गयी धरोहर धनराशि 02 प्रतिशत को समायोजित करते हुए कार्य की कुल लागत का 08 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो कि **"अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद"** के पक्ष में बन्धक हो, 07 दिनों के अंदर जमा करनी होगी तथा निविदा स्वीकृति के उपरान्त 07 दिनों के अन्दर ठेकेदार को अनुबन्ध गठित कराना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

क्रमशः.........3

15.3.24

AE

28. शासनादेश संख्या–622/2372–12–2012–2/आडिट/08–टी0सी0/02 दिनांक 08.06.2012 के क्रम में निविदादाता द्वारा बिल ऑफ क्वान्टिटी के विरूद्ध डाले गये 10 प्रतिशत Below तक 0.50 प्रतिशत प्रति प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक Below पर 1.00 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉमेन्स गारण्टी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो **अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड गाजियाबाद–02, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिशद वसुन्धरा, गाजियाबाद** के पदनाम बन्धक एवं अनुबन्ध अवधि तक वैध हो, के रूप में निविदा की वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम 07 दिनों के अन्दर, न्यूनतम निविदादाता को खण्ड कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में न्यूनतम निविदादाता के पक्ष में स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त परफॉरमेन्स गारण्टी कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार वापिस की जायेगी।
29. निविदादाता/फर्म को वांछित कार्य के अन्तर्गत पिछले 05 वर्षों में समान प्रकृति के निम्नलिखित तीन में से एक के अनुसार (अ, ब, स में से कोई एक) को पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग/अनुभाग से प्राप्त कर, अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
    अ. निविदा की लागत का कम से कम 80 प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।
    ब. निविदा की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत के समतुल्य के दो कार्य।
    स. निविदा की लागत का कम से कम 40 प्रतिशत के समतुल्य के तीन कार्य।
30. कार्यस्थल पर समय–समय पर शासन/परिषद द्वारा कोविड–19 वैश्विक महामारी एवं एन.जी.टी द्वारा वायु प्रदूषंण रोकथाम हेतु जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना होगा, जिसके अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्थाए फर्म को अपने व्यय पर स्वंय करनी होगी।
31. निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो वित्तीय निविदा खुलने के तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।
32. ई–निविदा के साथ निविदादाता को प्री–क्वालिफिकेशन की शर्तो/चैक लिस्ट के अनुसार वांछित प्रपत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
33. विद्युत सम्बन्धी कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ में वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है।
34. फर्म द्वारा भवनों में दीमक रोधी उपचार का कार्य विशेषज्ञ फर्मो से, नयी रीति संहिता IS:6313 (पार्ट–2):2013 में प्राविधानित विधि के अनुसार कराते हुए स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम के अनुसार देय स्टाम्प पेपर पर 10 वर्ष की गारण्टी परिषद पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
35. निविदा डालते समय इस बात का ध्यान रखना अपेक्षित है कि फायर की एन0ओ0सी0, विद्युत सुरक्षा की एन0ओ0सी एवं पर्यावरण की एन0ओ0सी0 की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
36. सम्बन्धित विभाग को कार्य हस्तगत कराने की जिम्मेदारी फर्म की होगी, जिसके उपरान्त ही अन्तिम भुगतान किया जायेगा एवं सिक्योरिटी की धनराशि प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट निर्गत होने के उपरान्त ही नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।
37. फर्म के बीजकों का भुगतान शासन से धनराशि प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।
38. कार्य की प्राथमिकता के अनुसार उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर धनराशि अवमुक्त होने के अनुसार ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। फर्म/ठेकेदार द्वारा प्राथमिकता से भिन्न किये गये कार्य का भुगतान तत्समय नहीं किया जायेगा।

(अमन त्यागी)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 755 /उक्त/ दिनांक–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता महोदय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ।
2. निदेशक, ग्लोबल सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरानगर, लखनऊ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
4. इन्चार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त ई–निविदा सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद–01/03/विद्युत खण्ड–द्वितीय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बागपत–01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद।
7. सहायक अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/सम्बन्धित अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड–गाजियाबाद–02, गाजियाबाद।
8. लेखाकार/कैशियर, निर्माण खण्ड गाजियाबाद–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
9. अवर अभियन्ता(तक0), निर्माण खण्ड गाजियाबाद–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
10. नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता